न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 135/2022

1. रोशनअली उर्फ रास्त अली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी गावं केला तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–22.12.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी/वादी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 10 केएलडी ए का मु0नं0 239/3 में किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0065 है0 कमाण्ड भूमि रोशन अली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी केला तहसील छतरगढ़ के नाम से खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रकबा का कब्जा आवंटन से लेकर आजतक वादी का चला आ रहा है। वादी को चक 10 केएलडी ए का मु0नं0 239/3 में किला नं0 1 ता 20 में कुल 20.00 बीघा भूमि का आवंटन रोशनअली पुत्र जगीरखां के नाम से हुआ था व इसी मुरब्बा नं0 239/3 के किला नं0 21 ता 25 का स्मालपेच आवंटन वर्ष 1980 में वादी को रियासतअली पुत्र जगीरखां के नाम से आवंटन हुआ है। वादी को स्मालपेच आवंटन करते समय रास्तअली पुत्र जगीरखां की जगह सहवन से रियासतअली पुत्र जंगीरखां दर्ज हो गया। वादी को उक्त भूमि के किला नं0 1 ता 20 में कुल 20.00 बीघा भूमि का आवंटन रोशनअली के नाम से व किला नं0 21 ता 25 की कुल 05.00 बीघा भूमि का आवंटन आदेश रियासत अली के नाम से मिला। वादी पढा लिखा नहीं होने के कारण आवंटन आदेश को पढ़ पाने में असमर्थ रहा। उसी अनुसार वादी को मूल आवंटन रोशनअली के नाम से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया व स्मालपेच आवंटन रास्तअली की बजाय रियासतअली के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 09.05.1980 को दर्ज हो गया था। वादी रोशनअली व रास्तअली दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता रहा है। दोनो नाम वादी के ही है किसी अन्य व्यक्ति के नहीं है। वादी को उक्त भूमि अपने पुत्रों को दान (गिफ्ट) करने के लिये कागजात तैयार किये तो वादी को पता चला की वादी के पुत्र तो 10 केएलडी में निवासी करते है, उनके दस्तावेजों में नाम के आगे पिता का नाम रोशनअली है व जो पुत्र केला में निवास कर रहा है, उसके दस्तावेजों में नाम के आगे पिता का नाम रास्तअली दर्ज है। जमाबन्दी पटवारी से रिकॉर्ड में देखा तो वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली पुत्र जगीरखां दर्ज है। तब वादी को ज्ञात हुआ व पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि की दुरुस्ती करवा लो कि राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली उर्फ रास्तअली दर्ज होने पर ही गिफ्ट हो सकती है। वादी के केलां के सभी दस्तावेज रास्तअली पुत्र जगीरखां के नाम से दर्ज जबकि 10 केएलडी के कुछ दस्तावेज रोशनअली पुत्र जगीरखां के नाम से है जिसे वादी घोषणात्मक दुरुस्त करवाने का विधिक अधिकारी है। वादी के अन्य वाद में श्रीमान उपखण्ड खाजूवाला द्वारा दिनांक 18.06.2004 को निर्णय व डिक्री बमुकदमे इब्तदाई प्राप्त हुई है जो कि रोशनअली उर्फ रास्तअली पुत्र जंगीर जाति मुसलमान निवासी केला तहसील छतरगढ़ के नाम हुआ है।

वादी उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली पुत्र जगीरखां के स्थान पर रोशनअली उर्फ रास्तअली पुत्र जगीरखां दर्ज करवाना चाहता है। वादी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 10 केएलडी ए का मु0नं0 239/3 में किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0065 है0 कमाण्ड भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम रोशन अली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान के बजाय रोशनअली उर्फ रास्तअली पुत्र जंगीरखां जाति मुसलमान की घोषणा कर दुरुस्त कर अंकन करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, परिचयपत्र, गिरदावरी, वादपत्र में वर्णित न्यायालय हाजा निर्णय छायाप्रति व मूल आवंटन पत्रावली नकल व जमाबंदी पेश की है। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/त.खा./रीडर/22/873 दिनांक 15.12.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 10 केएलडी ए के मु0नं0 239/3 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0065 है0 कृषि भूमि रोशनअली पुत्र जगीरखां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. केलां खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा 2 केएलडी 365 हैड के नाम दर्ज है। वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रोशनअली के स्थान पर संलग्न अन्य दस्तावेजों के आधार पर रोशनअली उर्फ रास्तअली करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी/प्रार्थी द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली के स्थान पर रोशनअली उर्फ रास्तअली दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रोशनअली की जगह रोशनअली उर्फ रास्तअली नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)